

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान मोटर यान क़राधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ. 6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3 दिनांक 09.3.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि 01.04.2007 को या इसके पश्चात् राज्य में रजिस्ट्रीकृत या समनुदिष्ट मोटर यानों के निम्नलिखित वर्गों से उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ङ) और धारा 4-ख के अधीन संदेय कर के स्थान पर धारा 4-ग के अधीन एकमुश्त कर का अनिवार्य रूप से संदाय करना अपेक्षित होगा:-

1. 3000 किग्रा से अधिक और 16500 किग्रा तक सकल भार वाले चार पहिया माल यानों के समस्त प्रवर्ग;
2. ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर बीस तक की सीट क्षमता वाले संविदा गाडी यानों के समस्त प्रवर्ग;
3. ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर बीस तक की सीट क्षमता वाले पर्यटक परमिट यानों के समस्त प्रवर्ग; और
4. ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर बीस तक की सीट क्षमता वाले समस्त निजी सेवा यान।

यह अधिसूचना 01.04.2017 से प्रवृत्त होगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/2]
राज्यपाल के आदेश से,

29
डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2017


In exercise of the powers conferred by second proviso to section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/3 dated 09.03.2015, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby notifies that following classes of Motor Vehicles registered or assigned in the State on or after 01.04.2007 shall be required compulsorily to pay Lump sum tax under section 4-C instead of tax payable under clause (a) or (e) of sub-section (1) of section 4 and section 4-B of the said Act :-

1. All categories of four wheeled goods vehicles having gross vehicle weight more than 3000 kg and upto 16500 kg;
2. All categories of contract carriage vehicles having seating capacity upto twenty excluding driver and conductor;
3. All categories of tourist permit vehicles having seating capacity upto twenty excluding driver and conductor; and
4. All private service vehicles having seating capacity upto twenty excluding driver and conductor.

This notification shall have effect from 01.04.2017.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/2]

By Order of the Governor,


(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government